न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या :-07/2016

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना ओसियां, जिला जोधपुर ग्रामीण,		1. खींवराज पुत्र श्री जीवनचन्द जाति-खत्री, उम्र-36 वर्ष निवासी-ओसियां, जिला जोधपुर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 13.03.2019

राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना ओसियां, जोधपुर ग्रामीण की ओर से एक प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के पेश किया जिसमें व्यक्त किया कि श्री नरेन्द्र चौधरी वृताधिकारी वृत ओसियां को दिनांक 07.04.16 को जरिये मुखबिर ईतला मिली कि खींवराज पुत्र जीवनचन्द जाति खत्री निवासी ओसियां अवैध रूप से अपनी बड़ा (पकोड़ा) निकालने की दुकान पर घरेलु गैस सिलेण्डर उपयोग में ले रहा है व भारी मात्रा में स्टॉक कर रखा है। चूंकि ईतला विश्वसनीय होने व दुकान की तलाशी वारन्ट लेने में समय लगने तथा अदालत का समय समाप्त हो जाने की वजह से सूर्यास्त होने पर दुकान बन्द करने की सम्भावना होने से फर्द बिना वारन्ट वजह तलाशी हेतु पुलिस थाना ओसियां से ईमदाद डयूटी हेतु अतिरिक्त जाब्ता श्री रमेश ढाका थानाधिकारी मय कानि.हरचन्दराम नं.422, रामप्रसाद नं. 648, .मुकनसिंह नं. 737, विक्रमसिंह नं. 353 मय सरकारी जीप चालक नारायण प्रकाश नं. 1829 के न्यू बस स्टेण्ड पर पहुँचने की हिदायत कर मन वृताधिकारी मय विडियोग्राफर घेवरराम कानि.नं. 550 मय सरकारी वाहन चालक धर्माराम नं. 1839 के मुखबिर ईतलानुसार न्यू बस स्टेण्ड पर पहुँचने पर थानाधिकारी रमेश ढाका मय जाब्ता उपस्थित मिले। स्वतंत्र मौतबिर की तलबी कानि.विक्रमसिंह नं. 353 से बस स्टेण्ड ओसियां पर करवाने पर कोई व्यक्ति कार्यवाही हेतु स्वतंत्र मौतबिर रहने हेतु तैयार नहीं होने पर कानि. मुकनसिंह नं. 737 व रामप्रसाद नं. 648 को मौतबिर मामूर कर मुखबिर की ईतला के मुताबिक खींवराज की दुकान के आगे पहुंच कर बड़ा

(पकोड़े) की भट्टी पर काम कर रहे व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम खींवराज पुत्र जीवनचन्द जाति खत्री उम्र 36 वर्ष निवासी ओसियां बताया व दुकान अपनी होना बताया तथा दुकान के अन्दर बड़ा (पकोड़ा) निकालने की भट्टी पर घरेलु गैस सिलेण्डर लगा हुआ पाया गया तथा पास ही तीन घरेलु गैस कनेक्शन के सिलेण्डर रखे पाये गये। खींवराज को उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर को व्यावसायिक उपयोग में लेने हेतु लाईसेन्स व परमिट का पूछने पर उसने नहीं होना बताया। बड़ा (पकोड़ा) निकालने की भट्टी पर लगी घरेलु गैस का सिलेण्डर रेगुलेटर भट्टी से अलग कर कांटा से गैस सिलेण्डर का तौल किया तो कुल वजन 27.100 किलोग्राम हुआ गैस सिलेण्डर पर HP नम्बर 427839 पाये गये एवं पास में ही रखे हुए गैस सिलेण्डरों का क्रमशः वजन किया तो गैस सिलेण्डर Indane नम्बर 163233 वजन 15.200 किलोग्राम, गैस सिलेण्डर HP नम्बर 761078 का वजन 15.900 किलोग्राम व गैस सिलेण्डर Indane नम्बर 243219 वजन 15.500 किलोग्राम हुआ, उक्त गैस सिलेण्डरों का खींवराज द्वारा न्यू बस स्टेण्ड पर अपने बड़ा (पकोड़ा) निकालने के लिए दुकान पर व्यवसायिक के रूप में उपयोग लेता पाया गया जो जुर्म धारा 3/7(C) आवश्यक वस्तु अधिनियम व Liquefied Petroleum Gas (Regulation of supply and distribution) Order 2000 की धारा 3(1),(C), (2) का उल्लंघन करना पाया जाने पर गैस सिलेण्डरों व भट्टी मय रेगुलेटर नली को मुताबिक फर्द के वजह सबूत कब्जा पुलिस लिये जाकर चेपायुक्त की गयी। मुलजिम खीवराज को गैस सिलेण्डरों की तफ्तीश व अनुसंधान हेतु गिरफ्तार किया गया। खींवराज पुत्र जीवनचन्द को उक्त बरामद गैस सिलेण्डरों बाबत पूछताछ व गहनतापूर्वक अनुसंधान पश्चात् अदालत में पेश किया गया। प्रकरण में बरामद उक्त अवैध 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों, भट्टी मय रेगुलेटर नली थाना हाजा कें मालखाने में जमा है के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि अप्रार्थी से 04 गैस सिलेण्डर बरामद होना बताया है जिसमें से एक का उपयोग लेना बताया है जबकि 03 गैस सिलेण्डर खाली बताये गये है। उक्त खाली गैस सिलेण्डर अप्रार्थी व उसके भाईयों के थे जो उस दिन जल्दबाजी में दुकान लेकर आये थे ताकि बाद में एजेन्सी से भरे हुए गैस सिलेण्डर ला सके। खाली गैस सिलेण्डर वैद्य कनेक्शन से प्राप्त किये गये है। उक्त खाली गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लेना नहीं पाया गया है। पुलिस द्वारा स्टाफ होने के नाते बड़े (पकोड़े) मांगे गए थे जो मुफ्त (फ्री) में नहीं देने पर यह झूठा मुकदमा किया था। अतः जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध चल

रहीं कार्यवाही ड्रॉप करने तथा 04 गैस सिलेण्डरों, भट्टी मय रेगुलेटर नली को अप्रार्थी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थी विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग बड़ा (पकोड़ा) बनाने हेतु उपयोग में करते हुए पाया गया है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों, भट्टी मय रेगुलेटर नली को राज्यसात करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपनी बहस में जवाब में लिखित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध चल रहीं कार्यवाही ड्रॉप करने तथा उक्त घरेलु 04 गैस सिलेण्डरों, भट्टी मय रेगुलेटर नली को अप्रार्थी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने विभागीय पेरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक कार्य बड़ा (पकोड़ा) बनाने में करने के कारण हम उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी आदेश एल.पी.जी. (रेगुलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन) ऑर्डर, 2000 के तहत 3(1),(C), (2) की स्पष्ट अवहेलना का दोषी पाते है। अतः उक्त जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों, भट्टी मय रेगुलेटर नली को जब्त सरकार किया जाकर राज्यसात किये जाने का आदेश पारित करना न्यायहित में उचित समझते है।

उपरोक्त निष्कर्षोपरान्त अप्रार्थी से जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों, भट्टी मय रेगुलेटर नली को राज्यसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे पुलिस थाना ओसियां जिला जोधपुर ग्रामीण के मालखाने में रखे हुए जब्तसुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डरों, भट्टी मय रेगुलेटर नली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निस्तारण करे तथा प्राप्त राशि राज्यकोष में जमा कराये। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर व थानाधिकारी पुलिस थाना ओसियां जिला जोधपुर ग्रामीण को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर